रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1939

No. 24] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2017, SATURDAY/ JYAISTHA 28— ASADHA 3, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

सा.का.नि. 216.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत के लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	320* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिविय।	स्तर-6	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो और दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हो या केन्द्रीय या राज्य सरकार में जिसके अंतर्गत भारत सरकार का	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती। **टिप्पण 1:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पदधारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उसी स्थान पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगीं और दोनों के न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य स्थानों से ऐसे अधिकारी : (क) नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ हैं। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा

उपक्रम भी है हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन अयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक - अध्यक्ष 2. उप महालेखाकार या उप निदेशक - सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 16th June, 2017

G.S.R. 216.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Junior Translator) Recruitment Rules 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator, in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Junior Translator Recruitment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Comptroller and Auditor-General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Comptroller and Auditor-General of India is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Competent Authority or the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard, as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	320* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	Not applicable	Two years

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master’s degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master’s degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master’s Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Possessing a recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years’ experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central or State Government, including Government of India Undertaking. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority or the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority or the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officials of Indian	Not applicable	**Departmental Confirmation Committee consisting of:** 1. Senior Deputy Accountant General or Director —Chairperson	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Audit and Accounts Department failing which, from the Central Government offices at the same station and failing both, from the Central Government offices at other stations- (a) holding analogous post on a regular basis; and (b) Possessing the educational and other qualifications as specified in column (7). **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		2. Deputy Accountant General or Deputy Director —Member 3. Senior Audit Officer or Senior Accounts Officer —Member	

[F. No. A-12018/1/2011-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जून, 2017

सा.का.नि. 217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्टाफ कार ड्राईवर विशेष ग्रेड पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्टाफ कार ड्राईवर पद (विशेष ग्रेड), समूह 'ख' भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष ग्रेड)	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल-6	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड- I लेवल-5 ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा। __टिप्पण-1__: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । __टिप्पण 2:__ प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु)** 1. निदेशक, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य 3. उप निदेशक, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु)** 1. उप महानिदेशक, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य 3. उप निदेशक, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/01/2014-प्रशा.-II]

गोपाल कृष्ण शुक्ल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi the 12th June, 2017

G.S.R. 217.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President of India hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver

(Special Grade) in the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, New Delhi namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2017;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the Level in the Pay Matrix.—**The number of the said post, its classification, the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade)	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be

absorption to be made		consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion **Staff Car Driver Grade-I in the Level-5 in the Pay Matrix with three years regular service in the Grade.** **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.:** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.	**Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of.-** **1. Director Administration** Directorate General of Health Services - Chairman **2. Under Secretary** Ministry of Health and Family Welfare - Member **3. Deputy Director Administration**, Directorate General of Health Services -Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of .-** **1. Deputy Director General (Administration)** Directorate General of Health Services - Chairman **2. Under Secretary** Ministry of Health and Family Welfare - Member **3. Deputy Director Administration**, Directorate General of Health Services - Member	Not necessary

[F. No. A-12018/01/2014-Admn-II]

GOPAL KRISHNA SHUKLA, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सा.का.नि. 218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता) हिंदी अधिकारी, भर्ती नियम, 1981 के अधिक्रमण में उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया जा चुका है अथवा हटा दिया गया है, एदतद्वारा कार्यालय महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) पद की भर्ती पद्धति को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग कार्यालय, वाणिज्यक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाय।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर.—**पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता इत्यादि.—**उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से संबंधित अन्य बातें उपरोक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यकृति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वाबत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए चयन करने के दौरान, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर
1	2	3	4
सहायक निदेशक (राजभाषा)।	1* *(2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 में रु. 56,100-रु.1,77,500 के समरूपी

चयन पद अथवा अ-चयन पद ।	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा अन्य शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
5	6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नतो के मामले में 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है ।
10	11
मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) धन पदोन्नति।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) धन पदोन्नति :** केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धशासी/सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी । (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी ; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 में रु. .47,600 – 1,51,100/- अथवा समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत दो वर्षो की सेवा; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में रु. 44,900 – 1,42,400/- अथवा समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत तीन वर्षो की सेवा; एवम् (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले **आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम एवं अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम एवं अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों में से कोई भी परीक्षा के माध्यम में तथा अन्य अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ।

	(ii) केन्द्र/राज्य सरकारों/ स्वायत्तशासी निकाय /सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत विशेषत: तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य के हिन्दी में तथा हिन्दी से अंग्रेजी अथवा *प्रतिलोमत:* अनुवाद कार्य में तकनीकी शब्दावली (तकनीकी कार्य) के प्रयोग/ अनुप्रयोग का तीन वर्ष का अनुभव अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/ स्वायत्तशासी निकाय /सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत हिन्दी तथा अंग्रेजी का शिक्षण या हिन्दी अथवा अंग्रेजी में शोध कार्यो का तीन वर्षो का अनुभव । **वांछनीय** : हिन्दी के सिवाय संविधान की 8वीं अनुसूची में से एक भाषा का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर तक का अध्ययन । **टिप्पणी 1** : वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में रु. 44,900 – 1,42,400/- में तीन वर्षो की नियमित सेवा सह दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण वाले विभागीय वरिष्ठ अनुवादक पर भी वाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा तथा यदि वह चयनित होते/होती हैं तो पद को पदोन्नति के आधार पर भरा हुआ माना जायेगा । **टिप्पणी 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[फा. सं. 3/1(1)/2016-आरआर]

शुभजीत रॉय, उप निदेशक, कार्यालय प्रमुख

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 14th June, 2017

G.S.R. 218.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta) Hindi Officer, Recruitment Rules, 1981, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely;—

1. **Short title and commencement.—(**1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Assistant Director (Official Language) Group'A' (Gazetted post Recruitment Rules. 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.—**The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Director (Official Language).	1 * (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix Rs. 56,100-Rs.1,77,500

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By Composite Method [Deputation (including short term contract) plus promotion].	**Deputation (including short term contract) plus promotion:** Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi Government or statutory or autonomous organisations,

	(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 8 in the pay matrix Rs. 47,600 – 1,51,100/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix Rs. 44,900 – 1,42,400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential:** (i) Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or *vice-versa*, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutions or recognised educational institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations; or Three years' of experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutions or recognised educational institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations. **Desirable:** Studied one of the language other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th standard from a recognised Board. **Note 1:** The departmental Senior Translator in level 7 in the pay matrix Rs. 44,900 – 1,42,400/- with three years' regular service in the grade and have successfully completed the training of two-four weeks shall also be considered along with outside officers and in case, such person is selected, the post shall deemed to have filled by promotion.

	Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 3/1(1)/2016-RR]

SUBHAJIT ROY, Dy. Director/Head of Office

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सा.का.नि. 219.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1981 तथा वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1961 के अधिक्रमण में उन बातों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया जा चुका है अथवा हटा दिया गया है, एतद्द्वारा कार्यालय महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी एवं पुस्तकालय तथा सूचना सहायक के पदों की भर्ती पद्धति को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग कार्यालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) एवं पुस्तकालय तथा सूचना सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2016 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर.**—पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स अथवा वेतनमान में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता इत्यादि.**—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से संबंधित अन्य बातें उपरोक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वाबत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए चयन करने के दौरान, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी	1* (2016) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 7 रु. 44,900-1,42,400/-

चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पदोन्नतों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह अल्पकालिक संविदा द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर -6 रु. 35,400-1,12,400/- के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं पुस्तकालय तथा पुस्तकालय विज्ञान में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	**समूह-'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु)** 1. महानिदेशक अथवा विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. निदेशक – सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) – सदस्य 4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा नामित उपसचिव स्तरीय अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, लोक उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या संविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -6 रु. 35,400-1,12,400/- या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा प्रदान की है, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हैं : **आवश्यक :** i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि; ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त या संविधिक संगठनों के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वांछनीय :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। **टिप्पण 1 :** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्त समझे जाने पर विचार नहीं किया जायेगा। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सहित केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	3* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर- 6 रु. 35,400-1,12,400/-

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक उपाधि; ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । **वांछनीय :** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा; **टिप्पण 1 :** अर्हताएं उन कारणों के लिये जो लेखबद्ध किये जायें, अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिये जो लेखबद्ध किये जायें सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा** **टिप्पण 1 :** पदग्राहियों की एक वर्ष अथवा अधिक प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थितिवश उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा जो कि; (अ) उसी संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारण किए हुए हैं; तथा (ब) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताओं एवं अनुभवों को धारण करते हैं ।

		टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति सहित केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**प्रोन्नति : समूह-'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) :-** 1. महानिदेशक अथवा विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. निदेशक – सदस्य 3. उप निदेशक – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 3/1/(1)/2016-आरआर]

शुभजीत रॉय, उप निदेशक/कार्यालय प्रमुख

New Delhi, the 14th June, 2017

G.S.R. 219.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Commerce (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta)Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1981, and the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (Class III posts) Recruitment Rules, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Assistant Library and Information Officer (Group 'B' Gazetted post) and Library and Information Assistant (Group 'B' Non- Gazetted post) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.—**The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service

Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Assistant Library and Information Officer	1* (2016) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 7 in the pay matrix Rs. 44,900 – 1,42,400/-

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Library and Information Assistant in the level-6 in the pay matrix Rs. 35,400-1,12,400/- with five years' regular service in the grade and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Library Science. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	**Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-** 1. Director General or Head of Department -Chairman 2. Director – Member 3. Deputy Director (Administration) – Member 4. Deputy Secretary level officer as nominated by Ministry of Commerce and Industry – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officials of the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or semi-Government or statutory or autonomous organisations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level – 6 in the pay matrix Rs. 35,400 – 1,12,400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential:** (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized research institutions or educational institutions or Universities or statutory or autonomous organisations. **Desirable:** (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or institute.		

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation including short term contract. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Library and Information Assistant.	3* (2016) * (Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35,400 – 1,12,400/-

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential :** (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised research institutions or educational institutions or Universities or statutory or autonomous organisations. **Desirable :** Diploma in Computer Science from a recognised University or institute; **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

		Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note 1:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled in deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director General or Head of Department – Chairman 2. Director – Member 3. Deputy Director - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 3/1 (1)/2016-RR]

SUBHAJIT ROY, Dy. Director/Head of Office

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली 14 जून, 2017

सा.का.नि. 220.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2015, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं";

3. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में, —

(i) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखीं, अर्थात् :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (67700 – 208700/- रुपए)",

(ii) स्तंभ (11) के,—

(क) मद (ii) के "वेतन बैंड – 2 (रुपए 9300-34800) + ग्रेड वेतन 4600/- रुपये" शब्दों, अंकों,कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रुपये)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 2/2/2016-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 9 जनवरी, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 6, तारीख 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 14th June, 2017

G.S.R. 220.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resouces, Central Water and Power Research Station, Pune, Libraty and Information Officer (Group 'A' Post), Recuitment Rule, 2015, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resourses, River Development and Ganga Rejuvention, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Informantion officer (Group 'A' Post), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) they shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Water and power Research Station, Pune, Library and Information Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2015, (hereinafter refereed to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the Schedule to the said rules,

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entris shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix"
(4)
Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.",

(ii) In column (11),

(a) For the words, figures and letters "Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs, 4600" at the both places where they occur, the words figures, brackets and letters "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) "Note 2" shall be omitted.

[F. No. 2/2/2016-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note.— The principal rules were published vide notification number G.S.R. 6, dated the 31st December, 2015 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 9th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.19 15:11:21 +05'30'